



23/11

प्रमाण- 2206709
2206710

नव जेला केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 1737 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में

दिनांक : 28 जुलाई 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-मेरठ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (हुड़ा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वसियों तथा मलिन वसियों में स्थीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वसियों तथा मलिन वसियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
सिडिकेट बैंक	88502200003369	IFSC Code SYNB0008350	142.459
(घनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम छिल्की की घनराशि का प्रेषण
1	मेरठ	मलिन वस्ती-83 बजट	न०नि० मेरठ	वार्ड सं० ०९ फाजलपुर में विनोद की दुकान से रौयल इंडियन टेक तक, संजय के घर से यादव गैस एजेन्सी तक, शनि मेडिकल स्टोर से राजकुमार के घर तक, उदयवीर यादव के घर से सतवीर के घर तक, राजेश कुमार के घर से आदर्श इंटर कालेज तक एवं रात्यवती के मकान से ओमवीर के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.795
2	मेरठ	मलिन वस्ती-83 बजट	न०नि० मेरठ	वार्ड सं० ०९ फाजलपुर में राजबाला के मकान से चन्द्रभूषण के घर तक, आदर्श इंटर कालेज से दुर्गा प्रसाद के घर तक, अनिल कुमार के मकान से राजकुमार के मकान तक, राजकुमार के मकान मामचन्द के गकान तक, राजकुमार के मकान से शकिला बानो के मकान तक, शकिला बानो के मकान से दुर्गा प्रसाद के मकान तक, रातीग के मकान से धर्मवीर के मकान तक, नेशनल बैंकिंग की दुकान से ढाका के मकान तक एवं त्रिजेन्ट के मकान से अनूप रिंड के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.579
3	मेरठ	मलिन वस्ती-83 बजट	न०नि० मेरठ	वार्ड सं० ०९ फाजलपुर में देवेन्द्र के मकान से विनोद के मकान तक, बुद्ध प्रकाश के मकान से मलिक इलैक्ट्रीकल की दुकान तक, पाल डेरी की दुकान से पाल स्पीद्रा व मेन रोहटा रोड तक, किरन पाल के मकान से भगवान शामी के मकान तक, बन्द्रपाल सिंह के मकान से मेन रोहटा रोड तक, राणा जी के मकान से किंष्म डेरी तक, गहकार सिंह के मकान से दुर्गा राडी सेन्टर तक, महेन्द्र रिंड के मकान से बाबू गिरी के मकान तक एवं सुवेदार के मकान से राहुल की दुकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	60.557



231/2

दूरभाष - 2280709
2296710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रम संख्या	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मसिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किसी की धनराशि का प्रेषण
4	मेरठ	मसिन वस्ती-83 बजट	नामिनी मेरठ	वार्ड संख्या 09 फाजलपुर में विरी सिंह के मकान से सविता देवी के मकान तक, यकील के मकान से राहुल की दुकान तक, संजीव के मकान वाली बन्द गली में, सुनील दत्त के मकान से सुवेदार के मकान तक एवं सुवेदार के मकान से ईश्वर पाल के मकान तक इंटरलाकिंग राहक एवं नाली निर्माण कार्य।	52.528
	योग				142.459

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरिताओं तथा मसिन वरिताओं में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- ३००० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरिताओं तथा मसिन वरिताओं में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ढी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य फिरी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की रिप्पति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें था कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय डस्ट्रिप्टिका के सुसंगत प्राविधिकों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में सम्बन्धित रुख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्ता की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्ता की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित रातों/योजना के प्रतिवर्षों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व व्यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय कर्तों की स्त्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य गिरिक प्रतिवर्षों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्ता की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यथर्वत्त अनुगम्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्ता की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की रिप्पति में जनपद के रामबन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



231/3

दूसरा— 2286709
2286710

नव भेत्ता केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियन्त्र, उ.प्र.

12-

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किशत की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्ता की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यव की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभियन्त्र को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(जाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेपित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियन्त्र, सम्बन्धित जामपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा।।
4. कम्प्यूटर रोल / लेखा विभाग—सूडा।।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक